# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 557/2018 निर्णय दिनांक :–29 .07.2022

**उनवानी अपील :**

शिवराज पुत्र श्री हीरालाल जाति गुर्जर निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

**–अपीलांटस–**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत देवडावास जरिए सरपंच ग्राम चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. रामप्यारी देवी पत्नी हीरालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. लालाराम पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी जलेरी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. गोपी बाई पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी घास तहसील टोंक जिला टोंक (राज.)

**– रेस्पोडेन्टस–**

**उपस्थिति :–**
**श्री रमेश चन्द शर्मा**
**अधिवक्ता वादी**

**श्री प्रेम चन्द जैन**
**श्री अनिल चौहान**
**प्रतिवादी संख्या 3 व 4**
**एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध**
**रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 व 5**

**अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 346**
**दिनांक 06.09.2018**
**ग्राम पंचायत देवडावास जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 3746 रेस्पोडेन्ट नं0 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 06.09.2018 रेस्पोडेन्ट नं0 1 ग्राम पंचायत देवडावास द्वारा बद्रीलाल पुत्र हीरालाल गुर्जर निवासी जलेरी का फौती नामान्तकरण तस्दीक किया गया जो कि गलत तस्दीक किया गया है। क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 व मृतक बद्रीलाल आपस में सगे भाई थे एवं रेस्पोडेन्ट नं0 3 इनकी माता है। नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 06.09.2018 मृतक बद्रीलाल गुर्जर का उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 62 ख0नं0 28 रकबा 1.24 है0, ख0नं0 30 रकबा 0.96 है0, ख0नं0 31 रकबा 1.40 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.60 है0 वाके तनग्राम जलेरी पटवार हल्का देवडावास

तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, में मृतक बद्रीलाल का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, का खोला गया गया था जो कि उक्त नामान्तकरण संख्या 346 गलत जानकारी से रेस्पोडेन्ट नं0 3 अकेले के नाम ही खोल दिया गया। जबकि मृतक बद्रीलाल के विधिक वारिस अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 के नाम खोला जाना चाहिए था। कुछ समय पूर्व ही अपीलान्ट को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई कि मृतक बद्रीलाल के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अकेले रेस्पोडेन्ट नं0 3 के नाम खोल दिया गया। जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 भी मृतक बद्रीलाल के विधिक वारिसान है तथा उक्त नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट ने0 3 के साथ–साथ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 के नाम भी खोला जाना चाहिए था। इसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा उक्त जमाबंदी की नकल दिनांक 02.12.18 को हल्का पटवांरी देवडावास से प्राप्त की तथा अविलंब यह अपील उक्त कारणो से माननीय न्यायालय में पेश है। प्रस्तुत अपील का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अपील निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है तथा अंदर मियाद प्रस्तुत है। अन्य कथन बरवक्त बहस निवदेन किये जायेगें। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील उपरोक्त सभी कारणो से स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 1 ग्राम पंचायत देवडावास द्वारा भरे गये/तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 06.09.2018 को खारिज किया जाकर आराजी खाता संख्या 62 जो ग्राम जलेरी पटवार हल्का देवडावास तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित भूमि में मृतक बद्रीलाल पुत्र हीरालाल गुर्जर के हिस्से की भूमि में रेस्पोडेन्ट नं0 3 के साथ–साथ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 4 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की ओर सें श्री प्रेमचन्द जैन व श्री अनिल चौहान ने वकालतनामा पेश किया ।

बाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अपने प्रत्युतर को शामिल पत्रावली किया गया जो इस प्रकार हैः–श्रीमान्जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत देवडावास में की बैठक दिनांक 06.09.2018 को हल्का श्री पटवारी देवडावास द्वारा नामान्तकरण बैठक में पेश किया गया जिसको बैठक द्वारा गहन मंत्रणा व विचार विमर्श कर तथा श्री गिरदावर द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर बैठक में नामान्तकरण सर्वसम्मति स्वीकृत हुआ जिसको बैठक दिनांक दिनांक 06.09.2018 के प्रस्ताव सं0 4 पर दर्ज कर लिया गया था, जिसमें बद्रीलाल पुत्र श्री हीरालाल गुर्जर निवासी जलेरी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् बद्रीलाल के कोई भी वारिसान न होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 में वर्णित पुरूष की दशा में उत्तराधिकारी प्रथम पुत्र होता है द्वितीय पुत्री होती है तृतीय विधवा पत्नी होती है। चूंकि बद्रीलाल के तीनो ही नही होने की दशा में मां (श्रीमति रामप्यारी देवी निवासी

जलेरी) को वारिस मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा श्रीमति रामप्यारी देवी बेवा हीरालाल गुर्जर निवासी जलेरी के नाम ग्राम पंचायत देवडावास के द्वारा उक्त नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रत्युतर आपकी सेवा में प्रस्तुत है यदि त्रुटिवश इसमें त्रुटि रह गई है तो ग्राम पंचायत को मार्गदर्शन करने की कृपा करें भविष्य में कोई त्रुटि नही हो इसका ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा ध्यान रखा जायेगा।

अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने सीधे ही बहस की प्रार्थना की जिसे अपीलान्ट अधिवक्ता ने स्वीकार किया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्य को ही दोहराते हुए कथन किया कि मृतक के लाऔलाद फौत होने से फ़ौती नामान्तकरण केवल मां के नाम खोल दिया गया जबकि मृतक के सगे भाई भी मौजूद है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ कोई सजरा पेश नहीं किया है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 व 10 में स्पष्ट है कि एक पुरूष के लाऔलाद फोत होने पर उसका उतराधिकारी प्रथम रूप से मॉ ही होती है। अतः ग्राम पंचायल देवड़ावास ने नामान्तकरण में कोई त्रुटि नहीं की। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली